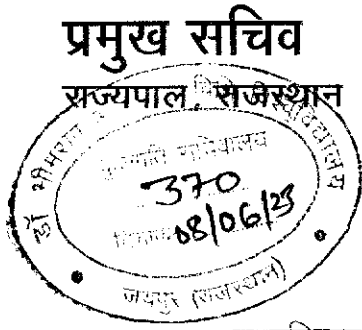
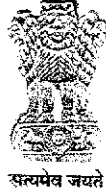




Part up
m



राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक: एफ.1(2)आर.बी. / 2021 / पार्ट-2 / 3044
दिनांक: 01-06-2023

कुलपतिगण,
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया.

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र संख्या ई-3034/जी.एस. दिनांक 19.05.2023 "दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने के संबंध में" की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(सुबीर कुमार)

ई-मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

संख्या ई-324/जी0एस0

दिनांक : मई 19, 2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

संवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपयुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचारार्थ है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-2941/2023, दिनांक मई 16, 2023 (प्रति सलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपयुक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपयुक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीया,

(कल्पना अदस्ती)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

राज्य भवन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-2941/2023

दिनांक : मई 18, 2023

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०) जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अ. 10 रा.प्र. 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अर्धीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित पैनल में से कुलपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल सदस्य ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए होगा अर्थात् आयु 65 वर्ष पूर्ण करने तक जो की पहले ही के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु पैनल वाली व्यक्ति प्रायः होना जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

सुवि. कुलपति विश्वविद्यालय का प्रथम कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिए अभ्यर्थी ने उच्च कौशल की शक्ति, साहसिकता, नेतृत्वता एवं पर्याप्त प्रसन्नता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विद्यमान शिक्षाविद् होने के साथ-साथ ही एक प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इसका अभ्यर्थी राजस्थान की वेबसाइट "www.ujgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 20.06.2023 तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अवर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
VICE-CHANCELLOR FOR DEEN DAYAL UPADHYAYA
GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR (U.P.)**

Advt. No. : E-2941/2023

Dated : May 16, 2023

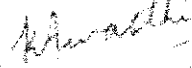
It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he/she attains the age of 68 (sixty eight) years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 (sixty five) years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before **20.06.2023**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.


Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.